

[भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 13/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 7 मार्च, 2019

सा-(अ)नि.का.- आयुक्तजिसे इस अधिसूचना में) 2017 ,केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम , के साथ पठित केन्द्रीय माल (5) नियम-के उप 61 के नियम (इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है 2017) 2017 ,और सेवा कर अधिनियमका) (12जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हैकी ध (ारा परिषद् की सिफारिशों पर यह ,द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 168 विनिर्दिष्ट करते हैं कि अप्रैल, 2019 से जून 2019 ,तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी ऐसे मास के उतरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

.2प्ररूप जीएसटीआर3-ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय :- प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा के उपबंधो के अधीन 49 रहते हुए पहले पैरा में यथाविनिर्दिष्ट उस अंतिम तारीख के अपश्चात्जिसको उससे उक्त विवरणी को , इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में विकलन ,यथास्थिति ,देने की अपेक्षा की जाती है फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में ,शास्ति ,ब्याज ,अधिनियम के अधीन संदेय कर उक्त ,करकें अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

[फा.सं. 20/06/16/2018-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार